

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 29.11.2020


बैठक सूचना

जयपुर एवं जोधपुर जिले में कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केन्द्रीय दल द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं जयपुर व जोधपुर जिले के अधिकारियों के साथ दिनांक 02.12.2020 को प्रातः 11:30 बजे शासन सचिवालय के कमेटी कक्ष संख्या 1 में बैठक आयोजित की गयी है जिसमें निम्न अधिकारीगणों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है:-

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एनएचएम, राज.।
4. प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, राज.।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
8. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर।
9. निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
11. अधीक्षक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/द्वितीय।

जोधपुर जिले के निम्न अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक में भाग लेंगे:-

1. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
2. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर/दक्षिण।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

  
(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, राज.।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, राज.।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर।
8. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर।
9. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर/दक्षिण।
10. निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
12. अधीक्षक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/द्वितीय।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
15. VC Incharge -DoIT&C
16. अवधाता, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
17. निजी /रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव